

संख्या-502/पीय-9-2023

ठेकड़ा,

वेद प्रकाश राय

उपराजित,

ठ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

परिवार कल्याण,

उत्तर प्रदेश सरकार।

विधिन-ना अनुसार-७

मिथन-ठ 15/05/2023

(विधायक सभोपायी (विनियम) अधिनियम, 2021 व सहायता प्राप्त जननीय पीयोगिकी (विनियम) अधिनियम 2021 के अन्तर्गत इकाईयों की परीक्षण शुल्क प्राप्ति किये जाने हेतु मट विधायक के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विवरक अपने यह संख्या-य०क०/०५-ठ०ठ०ठ०१५/१४/२०२३, दिनांक 16-03-2023 का कृपया संदर्भ करने वाले, विवरक द्वारा सहोपायी (विनियम) अधिनियम, 2021 व सहायता प्राप्त जननीय पीयोगिकी (विनियम) अधिनियम 2021 में इकाईयों की परीक्षण हेतु प्राप्त आदेशों के साथ अधिनियम, विनायकों में प्राधिधिक शुल्क की कीमताएँ में प्राप्त करने के लिए विभागीय सेवा शीर्षक '०२११-००-८००-०२००-विधायिक प्राप्तियों' मट में जमा करने हेतु राजस्वीय अनुमति पाएँ गयी है।

२- इस सम्बन्ध में सुने यह बहने का निर्देश हुआ है कि कृपया सहोपायी (विनियम) अधिनियम, 2021 व सहायता प्राप्त जननीय पीयोगिकी (विनियम) अधिनियम 2021 के अन्तर्गत इकाईयों की परीक्षण शुल्क की विभागीय सेवा शीर्षक '०२११-००-८००-०२००-विधायिक प्राप्तियों' के मट में जमा कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाएँ है। कृपया तदनुसार अद्यतर आवश्यक कार्यवाही हुमें संचित करने का कष्ट करें।

३- यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

Signed by वेद प्रकाश राय
 (वेद प्रकाश राय)
 Date: 15-05-2023 16:07:14
 उपराजित
 Reason: Approved

ई-मेल

कार्यालय महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पू०स०:प.क./पी.सी.पी.एन.डी.टी./14/2023/७९६५-७। लखनऊ, दिनांक 22 मई 2023
 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेक्षित-

- (1) निदेशक (समन्वय), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसन्धान विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- (2) प्रमुख सचिव, विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
- (3) निशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
- (4) समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- (5) समस्त जिला-मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
- (6) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संयुक्त निदेशक (पी०सी०पी०एन०ठी०ठी०)

परिवार कल्याण महानिदेशालय,

१५८-उत्तर प्रदेश, लखनऊ।